संख्या-06/2026/I/1202829/2026/001-71-2099-263-2021-3

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
3. निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के पत्रांक-7187/योजना अनु0/2025, दिनांक 07.11.2025, निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के पत्रांक-जी0आई0एम0एस0/2025/2438, दिनांक 14.11.2025, एवं कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के पत्रांक-जी0आई0एम0एस0/2025/2438, दिनांक 14.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि 760.00 लाख (रुपये सात करोड साठ लाख मात्र) निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	60.00
	कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान	100.00
	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	600.00
	कुल योग-	760.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3) संबंधित संस्थान के निदेशक/कुलसचिव का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
4) उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित 2021 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7) धनराशि को कोषागार से संबंधित चिकित्सा संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,60,00,000 (रुपये सात करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-218/दस-2025-26, दिनांक- 07 जनवरी, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-06/2026/I/1202829/2026/001-71-2099-263-2021-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त अधिकारी/ वित्त नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3।

(9) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।

(10) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।

(11) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।